बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

122 रिविजन क्रमांक निगरानी 4179-I-15 सन्

01. चन्ना तनय श्री जुगल काछी
02. रामकिशोर तनय श्री जुगल काछी
03. बल्लू तनय श्री जुगल काछी
तीनो निवासीगण ग्राम महिलवार तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

राज्य शासन म0प्र0 ....उत्तरवादी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ–19(4)/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 से दुःखित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है–

निगरानी के तथ्य

यह कि भूमि खसरा नं0 888/1, रकवा 9.44हे0 में से रकवा 2.000हे0 हे0 स्थित ग्राम महिलवार तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की आराजी है जो दखिल रहित भूमि है, जिसे म0प्र0 कृषि प्रयोजनो के लिये उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत नियम 3 के अनुसार निगरानीकर्ता को विवादित भूमि पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–'19(4)/2001–02 में आदेश दिनांक 25.07.2002 के द्वारा निगरानीकर्ता को भूमि स्वामी घोषित किया गया। उक्त् आदेश के विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण वर्ष 2005–06 में दर्ज कर निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.07.2014 को जारी किया गया जिसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि स्वप्रेरणा निगरानी में प्रकरण में निर्धारित अवधि छैः माह के अंदर लिया जा सकता था, किन्तु लगभग चौदह वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी की शक्ति का प्रयोग करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है, परन्तु विद्वान अपर कलेक्टर ने इस संबंध में कोई विस्तृत जॉच न कर सरसरे तौर पर दिनांक

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-479-एक/2015 जिला छतरपुर चन्ना विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ-19(4)/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 19-01-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-03-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7 उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 7.1.19